राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2514/2024

डॉ. अक्षिता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक पीपराली, जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.08.2024

आदेश की दिनांक : 13.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश स्वीकार करते हुए वेतन भुगतान किए जाने के आदेश फरमाये जावें और अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी (यूटीबी) के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकराय, ब्लॉक पीपराली, जिला सीकर में कार्यग्रहण करने के निर्देश फरमाते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 16.08.2023 के द्वारा चिकित्सा अधिकारी (यूटीबी) के पद पर संविदा आधार पर यूटीबी के अंतर्गत नियुक्ति हुई और उसे पीएचसी सकराय, ब्लॉक पीपराली, जिला सीकर में पदस्थापित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 17.08.2023 को कार्यग्रहण किया और अपीलार्थी ने दिनांक 18.02.2024 को बच्चे को जन्म दिया, जो जन्म प्रमाण पत्र अनुलग्नक–3 से प्रकट होता है। अपीलार्थी ने नियमानुसार 180 दिवस का मातृत्व अवकाश चाहने बाबत् दिनांक 17.02.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीपराली, जिला सीकर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर ने पत्र दिनांक 27.02.2024 को निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर मार्गदर्शन चाहा लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को आदिनांक तक मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किया है तथा उसे पुनः कार्यग्रहण भी नहीं करवाया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य विधि एवं नियमों के विपरीत है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के समान तथ्यों के आधार पर अपील संख्या 45/2024 आयशा बानो बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2024 में मातृत्व अवकाश स्वीकार करते हुये अपील स्वीकार कर निस्तारित की है। प्रत्यर्थी विभाग के उक्त कृत्य से परेशान होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश स्वीकार करते हुए वेतन भुगतान किए जाने के आदेश फरमाये जावें और अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी (यूटीबी) के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकराय, ब्लॉक पीपराली, जिला सीकर में कार्यग्रहण करने के निर्देश फरमाते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 16.08.2023 की पालना में चिकित्सा अधिकारी (यूटीबी) के पद पर संविदा आधार पर यूटीबी के अंतर्गत दिनांक 17.08.2023 को पीएचसी, सकराय, ब्लॉक पीपराली, जिला सीकर में कार्यग्रहण किया। जहां तक अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रसूति अवकाश/मातृत्व

अवकाश पश्चात् कार्यग्रहण नहीं करवाये जाने एवं उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने दिनांक 18.02.2024 को एक शिशु को जन्म दिया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने नियमानुसार प्रसूति अवकाश चाहने बाबत् दिनांक 17.02.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रसूति अवकाश पूरी होने के पश्चात् अपीलार्थी ने कार्यग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण करने हेतु न ही अनुमति प्रदान की गई और न ही उक्त मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये गये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मीनाक्षी राव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1598/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2017 में ऐसी परिस्थिति में मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं किया जाना अनुचित माना है। इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.06.2009, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है :–

> *"(i) Female Contractual persons engaged in various departments of the State Government with the prior approval of Finance Department and who have less than two surviving children, may be allowed maternity leave upto a period of 180 days with remuneration/contractual amount.*
>
> *(ii) If there is no surviving child even after availing it twice, Maternity Leave may be granted on one more occasion.*
>
> *(iii) Leave remuneration shall be payable at the rate remuneration/contractual amount, which she is entitled to on the day before the leave commences.*
>
> *(iv) This order shall also be applicable to those female contractual persons who are presently on maternity leave."*

इसी प्रकार कार्यालय निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध करायी गई सूचना दिनांक 28.12.2023 जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि *''आवश्यक/अस्थायी आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश एवं पुरूष कार्मिक को वित्त विभाग के आदेशानुसार पितृत्व अवकाश देय है। मातृत्व अवकाश 180 दिवस का देय है,''* विभाग द्वारा तीसरी संतान पर उक्त मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है। जबकि वर्तमान मामले में अपीलार्थी के साथ तीसरी संतान का कोई मामला नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं की गई है, जो हमारे मत में उचित प्रकट नहीं होता है एवं विभाग का

ऐसा उक्त कृत्य असंवेदनशीलता को दर्शाता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को राज्य सरकार के परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान किया जावे और नियमानुसार चिकित्सा अधिकारी (यूटीबी) के पद पर पुनः कार्यग्रहण कराने की अनुमति प्रदान की जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)